रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 2
PART III—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1972/कार्तिक 6, 1894
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1972/KARTIKA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October 1972

No. DI/222(66)/71.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Article I, Article II and Article V (Sections 17, 18(b), (d), (e) and (g), 19, 20 and 21) of the Schedule to the said Act shall, subject to the modifications specified below, apply *mutatis mutandis*, to the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics and to its officers recruited on an international basis, except that the exemptions under Sections 18 and 19 shall apply only to the non-Indian officials of the said Institute.

Modifications

1. In the Articles so applied,—

(i) for the words "United Nations", wherever they occur, the words "International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics" shall be substituted;

(ii) for the words "Secretary-General" wherever they occur, the word "Director" shall be substituted

1. In Section 19,

(i) for the words "Secretary-General and all Assistant Secretaries-General" the word "Director" shall be substituted.

(ii) for the words "their spouses", the words "his spouse" shall be substituted.

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1973

No. UI/222(66)/71.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby makes the following modification to the Gazette of India Notification No. UI/222(66)/71, dated the 28th October, 1972 :

The words "except that the exemptions under Sections 18 and 19 shall apply only to the non-Indian officials of the said Institute" shall be substituted by the following :—

"except that (i) the exemptions under sections 18(b), (d), (e) and (g) and 19 shall apply only to the non-Indian officials of the said Institute and (ii) exemption under section 18(b) shall be applicable to the Indian officials of the Institute recruited on an international basis to the extent that they shall be liable to pay income tax only on their pay and allowances, and not on perquisites represented by rent-free quarters and other amenities, provided to them by the Institute."

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973

रजिस्ट्री सं. डी.221

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-III खंड-2

प्राधिकार से प्रकाशित

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1972

सं.एफ.यूआई/222(66)/71-संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद I, अनुच्छेद II, अनुच्छेद IV (खंड 17, 18(ख), (घ), (ड.) और (छ), 19, 20 और 21), नीचे विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन, सभी आवश्यक परिवर्तनों सहित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स और अंतरराष्ट्रीय आधार पर भर्ती इसके अधिकारियों पर लागू होंगे और खंड 18 और 19 के अंतर्गत छूट केवल उक्त इंस्टीट्यूट के गैर-भारतीय पदाधिकारियों पर ही लागू होंगे।

संशोधन

1. लागू होने वाले अनुच्छेदों में,-

   i. जहां भी "संयुक्त राष्ट्र" शब्दों का उल्लेख हुआ है उनके स्थान पर "इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

   ii. जहां भी "महासचिव" शब्दों का उल्लेख हुआ है उनके स्थान पर "निदेशक" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 19 में

(i) "महासचिव और सभी सहायक महासचिव" शब्द के स्थान पर "निदेशक" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) "उनके पति/पत्नी" शब्दों के स्थान पर "उसका/उसकी पति/पत्नी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून 1973

सं.यूआई/222(66)/71, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार भारत की राजपत्र अधिसूचना सं.यूआई/222(66)/71, दिनांक 28 अक्टूबर 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

"सिवाय यह कि (i) धारा 18 (ख), (घ), (ड.) और (छ) और 19 के अंतर्गत छूट केवल उक्त इंस्टीट्यूट के गैर-भारतीय अधिकारियों पर ही लागू होगी और (ii) धारा 18 (ख) के अंतर्गत छूट अंतरराष्ट्रीय आधार पर भर्ती किए गए संस्थान के भारतीय अधिकारियों पर उस सीमा तक लागू होगी कि उन्हें केवल अपने वेतन और भत्ते पर आयकर देना होगा और संस्थान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए किराया मुक्त मकानों और अन्य अतिरिक्त सुविधाओं पर नहीं"।